राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)
फोन न: 0141-2228066 , 2228064 फैक्स न 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in
सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1435 Dated:-20.07.2023

कार्यालय आदेश

भैषज एंव औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 Dated:-14.10.2020 के अन्तर्गत फर्म M/s Meril Diagnostic Pvt. Ltd., Survey no. 135/139, Bilakhia house, Muktanand Marg, Chala Vapi-396191 द्वारा आईटम कोड 225 (Anti A Blood Grouping Serum IP(Anti A Monoclonal Serum)), 226 (Anti B Blood Grouping Serum IP(Anti B Mono Clonal Serum)), 227 (Anti D(Rh) Blood Grouping Serum IP/Anti D Blood Grouping Serum IP) के लिए भी बिड प्रस्तुत की गयी थी जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 15.12.2020 को खोली गई।

उक्त आईटमों के लिए क्यू.सी. से प्राप्त अनौ.टी. क्रमांक एफ.05()/आरएमएससी/क्यू.सी/2021–22/172 दिनांक 07.05.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के उपरोक्त तीनों आइटमों के कई बैच वर्तमान में NOSQ की श्रेणी में है जिसकी सूचना फर्म ने निविदा प्रपत्र के Annexure VII में प्रस्तुत नही की। बिड शर्त सं. 2(g) में निम्नानुसार प्रावधान है:– "If any product/products of a company/firm have been declared as not of standard quality, as per Drugs & Cosmetics Act during last 2 years anywhere, such concern/company/firm shall not be eligible to participate in Bid for such product/products. If any company/firm is found to have any such product quoted in the Bid, the product shall be blacklisted for 2 years and a penalty equivalent to Bid Security Deposit shall also be levied. [Penalty should be minimum and maximum as per bid security given in clause 8] In such situation, the bid will be considered further only if the amount of penalty is deposited before the completion of technical evaluation".

उक्त प्रावधान के अनुसार फर्म उक्त आईटमों की बिड प्रस्तुत करने के योग्य नही थी। इस सम्बन्ध में फर्म से स्पष्टीकरण चाहने बाबत पत्र क्रमांक 584 दिनांक 20.04.2021 लिखा गया। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 24.05.2021 व 25.05.2021 द्वारा स्पष्टीकरण में केवल आईटम कोड–226 को temperature sensitive बताया। प्रकरण क्रय समिति की बैठक दिनांक 07.05.2021 एवं 01.07.2021 में रखा गया एवं फर्म को तथ्य छुपाने पर दोषी मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.06.2023 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

अतः फर्म को बिड शर्तो के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 27.06.2023 के निर्णय की पालना में फर्म M/s Meril Diagnostic Pvt. Ltd. के आईटम कोड 225, 226 व 227 के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार किया जाता है एवं राशि रू 236000/– (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1435 Dated:- 20.07.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
2. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि M/s Meril Diagnostic Pvt. Ltd. द्वारा जमा कराई गई बोली की प्रतिभूति राशि रू 2,00,000 (अक्षरे राशि रू दो लाख) (D.D No 320703, dated 22.10.2020, RBL Bank) जो कि इस अनुभाग की अनौ. टी. कमांक 2249—2250 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, में से पैनल्टी राशि रू 200000 (अक्षरे राशि रू दो लाख) जब्त करावें तथा शेष राशि रू. 36000 की वसूली के लिये फर्म को देय किसी अन्य भुगतान से होल्ड करें।
3. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
4. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल ।
5. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट तथा E-aushadhi Software में अपलोड़ करावें।
6. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स M/s Meril Diagnostic Pvt. Ltd., Survey no. 135/139, Bilakhia house, Muktanand Marg, Chala Vapi-396191 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रू. 36000 (चालान/डीडी/RTGS) निगम में सात दिवस में जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल